न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री रमेश कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 23 / 2023
निर्णय दिनांक – 16.01.2024
GCMS No- 2023/52

1. शंकरलाल पुत्र नेमाराम जाति जाट नि. वार्ड न. 3 गोपालपुरा रोड़ सुजानगढ़
2. जेठाराम पुत्र लालाराम जाति जाट नि. वार्ड न. 5 गोपालपुरा रोड़ सुजानगढ़
3. श्रवण पुत्र लालाराम जाति जाट नि. वार्ड न. 5 गोपालपुरा रोड़ सुजानगढ़

.....वादीगण

बनाम

1. खुमला पुत्र रूपा जाति सेवक नि. सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
2. गमना पुत्र रूपा जाति सेवक नि. सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
3. मुंगा पुत्र बींजा जाति सेवक नि. सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
4. रूमाली पुत्री बींजा जाति सेवक नि. सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
5. हटु पुत्र बीजां जाति सेवक नि. सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
6 उप पंजीयक सुजानगढ़ जिला चूरू
7. तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

.....प्रतिवादीगण

8. सुखाराम पुत्र नेमाराम जाति जाट नि. वार्ड न. 3 गोपालपुरा रोड सुजानगढ़ जिला चूरू
9. मोडाराम पुत्र लालाराम जाति जाट नि. वार्ड न. 5 गोपालपुरा रोड सुजानगढ़ जिला चूरू
10. छोटूराम पुत्र लालाराम जाति जाट नि. वार्ड न. 5 गोपालपुरा रोड सुजानगढ़ जिला चूरू

.....प्रोफोर्मा प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल एडवोकेट वादीगण।
2 प्रतिवादी संख्या 07 राज पैरोकार
3. प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त मे वाद के तथ्य में नेमाराम व उमाराम की वंशावली अंकित करते हुए ग्राम सुजानगढ़ ग्रामीण की कृषि भूमि नये ख.न. 381 रकबा 2.1875 हैक्टर, ख.न. 382 रकबा 5.4626 हैक्टर, ख. न. 351 रकबा 0.0252 हैक्टर, ख.न. 352 रकबा 7.3973 कुल किता चार कुल रकबा 15.0726 हैक्टर भूमि जिसके पुराना ख.न. 41 राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उपरोक्त भूमियों में से नये ख.न. 381, 382 सम्पूर्ण को वादी संख्या एक व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 के पूर्वज नेमा वल्द गंगा तथा नया ख.न. 351, 352 सम्पूर्ण वादी संख्या दो व तीन तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पूर्वज उमा वल्द माना राज. भूमि सुधार एवं पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 लागू होने के पूर्व से ही बतौर कृषक काबिज होकर काश्त कर रहे थे। जिनका नाम कॉलम संख्या 5 में बतौर कृषक दर्ज किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या एक ता पांच ने उक्त खसरान को कभी भी किसी भी रूप में काश्त नहीं किया तथा ना ही उनका उपर्युक्त भूमि के किसी भी हक, हिस्से पर कब्जा बहैसियत खुद काश्त रहा। जिनका नाम कॉलम संख्या 4 में बहैसियत भूमिधारी संशोधित नामों सहित अंकित रहा है। कालान्तर में जागीर पुनर्गहण हो जाने के कारण जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में राजस्थान सरकार का नाम विधिक प्रावधानों के तहत दर्ज हो गया तथा वादीगण के पूर्वजों नेमा वल्द गंगा एवं उमा वल्द माना को राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 15 एवं 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। उमा वल्द माना के देहान्त के पश्चात् वादीगण संख्या 2 व 3 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 ख.न. 351 व 352 सम्पूर्ण पर बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसी प्रकार ख.न. 381 व 382 सम्पूर्ण को नेमा वल्द गंगा के स्वर्गवास के बाद वादी सं. एक व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 काबिज होकर काश्त करते चले

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

आ रहे है। प्रतिवादी संख्या एक ता पांच का विवादित कृषि भूमियां ख.न. 351, 352, 381, 382 सुजानगढ़ ग्रामीण की खातेदारी में अवैध रूप से नाम अंकित चला आ रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या एक ता पांच के व्यक्तियों को ग्राम सुजानगढ़ मे कभी नही देखा ना ही इनके बारे में सुना है कि उपरोक्त व्यक्ति कौन है तथा इनके वारिसान कौन है तथा इनके जीवित या मृत होने के बारे मे वादीगण को कोई जानकारी नहीं है। परन्तु विवादित भूमियों की जमाबंदी में इनका नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण से इन्हे प्रस्तुत वाद में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या एक ता पांच का नाम विवादित भूमियों की खातेदारी में अवैध रूप से चला आ रहा होने के कारण वादीगण के विवादित भूमियों के बाबत खातेदारी हक अधिकारों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जिस बाबत तहसीलदार सुजानगढ के यहां उपस्थित होकर अपना नाम विवादित भूमियों की खातेदारी में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया तो प्रतिवादी संख्या सात ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि विवादित भूमियों की खातेदारी में आपका नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ में आपके पक्ष में डिक्री पारित करवाकर आदेश पारित करवाने की स्थिति में ही आपका नाम उपरोक्त भूमियों में अंकित किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या एक ता पांच का विवादित भूमियों की खातेदारी में नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण भूमाफिया किस्म के लोगों द्वारा प्रतिवादी संख्या छः व सात के यहां अवैध हस्तान्तरण प्रलेख कुट रचित करवाने तथा उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करवाने की प्रबल संभावना उत्तपन हो गई है। जिस कारण स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादी संख्या 7 से वादगत भूमियों की खातेदारी दर्ज करने के लिए दिनांक 06.01.2023 को कहा परन्तु बिना डिकी के प्रतिवादी संख्या एक ता पांच का नाम हटाने से इन्कार कर दिया। अन्त में विधिक नोटिस में छुट का अंकन करते हुए, वादीगण का वादाधार वाद हेतुक एवं पक्षकारों के निवास स्थान की दृष्टि से न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार अंकित करते हुऐ वाद पेश कर अनुतोष चाहा है कि विवादित कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 2.1875 हैक्टर, ख.न. 382 रकबा 5.4626 हैक्टर, वादी संख्या एक व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 को बहिस्सा बराबर तथा ख.न. 351 रकबा 0.0252 हैक्टर, ख.न. 352 रकबा 7.3973 हेक्टर भूमि वादी संख्या दो व तीन एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज की जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जावे, खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल मे लाई गई एवं प्रति. सं. 6 व 7 की ओर से पैरोकार राज ने प्रकरण मे अपने जबाव दावा में कब्जा उपयोग उपभोग के तथ्य स्वयं वादीगण को साबित करने के तथ्य अंकित करते हुए खातेदारी में शामिल होने के लिए भू–राजस्व नियम 1956 के अनुसार जरिये विरासतन, न्यायिक आदेश, रजिस्ट्रड दस्तावेज के माध्यम से ही सम्भव है एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित नही करवा कर दावा पेश किया है जिस कारण राजस्थान सरकार को राजस्व हानि होगी। अन्य तथ्य राज पैरोकार से सम्बधित नही होने के कारण इन्कार किये जाते है। जिन्हे वादीगण स्वयं सिद्ध करें। आदि आदि

वादी की ओर से अपनी साक्ष्य मे गवाह पी.डब्लू. 1 शंकरलाल पी.डब्लयु 2 नानुराम पी.डब्लयु 3 समुन्द्र सिंह के बयान कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2010 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2055 प्रदर्श–4, संवत् 2021 का नक्शा प्रदर्श–5, व प्रदर्श–6, है। सेटलमेंन्ट विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8, खसरा गिरदावरी संवत् 2005 से 2008 प्रदर्श–9, खसरा गिरदावरी संवत् 2013 से 2016 प्रदर्श–10, खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 प्रदर्श–11, खसरा गिरदावरी संवत् 2019 से 2020 प्रदर्श–12, खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2024 प्रदर्श–13, खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 2028 प्रदर्श–14, खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2034 प्रदर्श–15, खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2034 प्रदर्श–16, खसरा गिरदावरी संवत् 2035 प्रदर्श–17, खसरा गिरदावरी संवत् 2035 प्रदर्श–18, पेश कर प्रदर्शित कराये।

बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण मे वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ने वादगत खेत खसरा नम्बर 351, 352, 381, 382 कुल रकबा 15.0726 हैक्टेयर भूमि की घोषणा अपने पक्ष में चाही है एवं इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में संशोधन चाहा है। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की मांग भी वादीगण द्वारा चाही गई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

उप खण्ड़ अधिकारी
सुजानगढ़

है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बावजुद समन एवं रजिस्ट्रड डाक व दैनिक अखबार के माध्यम से तामील के बावजुद अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल मे लाई गई है इसी प्रकार प्रफोर्मा प्रतिवादीगण सं. 8 ता 10 भी बावजुद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की तरफ से पैरोकार राज ने प्रकरण मे मुख्य रुप से रजिस्ट्रड दस्तावेज निष्पादित नही करवा कर दावा पेश करना व सरकार को राजस्व हानि बाबत आपति अपने जबाब में अंकित किये है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में वादगत खेत खसरान की वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–1 है। उक्त जमाबन्दी में बतौर खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है एवं सैटलमेन्ट विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 7 व 8 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार पुराने खसरा नम्बर 41 के वर्तमान नये खसरा नम्बर 351, 352 व 381 व 382 बने है जिससे यह भलीभांति प्रतीत होता है कि वादगत खसरान पुराने साबिका खसरा नम्बर 41 के ही बने हुये है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 2 सम्वत 2010 के साबिक खसरा नम्बर के 41 काश्तकार के रुप में उमा वल्द माना व नेमा वल्द गंगा जाट का नाम अंकित है इसी प्रकार जमाबंदी प्रदर्श 3 सम्वत 2011 से 2012 में भी काश्तकार के रुप में उमा वल्द माना व नेमा वल्द गंगा जाट का नाम काश्तकार के रुप में अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श 5 व प्रदर्श 6 में खेतो की पैमाईश सम्वत 2021 का नवशा दर्शाया हुवा है एवं प्रदर्श 7 सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल में भी उप कृषक काश्तकार के रुप में वर्तमान खसरा नम्बर 381 व 382 में नेमा वल्द गंगा जाट का नाम उप कृषक काश्तकार के रुप में दर्ज चला आ रहा है एवं प्रदर्श 8 सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल में भी उप कृषक काश्तकार के रुप में वर्तमान खसरा नम्बर 351 व 352 में उमा वल्द माना जाट का नाम उप कृषक काश्तकार के रुप में दर्ज चला आ रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गिरदावरी प्रदर्श 9 सम्वत 2005 से 2008 तक में काश्तकार के रुप में गंगा जाट का नाम व गिरदावरी सम्वत 2013 से 2016 तक प्रदर्श 10 में उमा वल्द माना व नेमा वल्द गंगा कौम जाट का नाम बतौर काश्तकार अंकित है इसी प्रकार प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 में साबिक खसरा नम्बर 41 के काश्तकार के रुप में उमा वल्द माना व नेमा वल्द गंगा का नाम बतौर काश्तकार के रुप में अंकित है एवं प्रदर्श 12 खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2020 में साबिक खसरा नम्बर 41 के काश्तकार के कॉलम में उमा वल्द माना व नेमा वल्द गंगा का नाम काश्तकार के रुप में अंकित है। एवं प्रदर्श 13 खसरा गिरदावरी सम्वत 2021 से 2024 तक के रेकार्ड में साबिक खसरा नम्बर 41 के काश्तकार के रुप में नेमा वल्द गंगा व उमा वल्द माना का नाम काश्तकार के रुप में अंकित है। एवं प्रदर्श 14 खसरा गिरदावरी सम्वत 2025 से 2028 में साबिक खसरा नम्बर 41 के काश्तकार के कॉलम में उमा वल्द माना व नेमा वल्द गंगा का नाम काश्तकार के रुप में अंकित है। एवं प्रदर्श 15 खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 में वर्तमान खसरा नम्बर 351 व 352 के काश्तकार के कॉलम में उमा वल्द माना का नाम काश्तकार के रुप में अंकित है। एवं प्रदर्श 16 खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 में वर्तमान खसरा नम्बर 381 व 382 के काश्तकार के कॉलम में नेमा वल्द गंगा का नाम काश्तकार के रुप में अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श 17 खसरा गिरदावरी सम्वत 2035 में वर्तमान खसरा नम्बर 351 व 352 के काश्तकार के कॉलम में उमा वल्द माना का नाम काश्तकार के रुप में अंकित है। एवं प्रदर्श 18 खसरा गिरदावरी सम्वत 2035 में वर्तमान खसरा नम्बर 381 व 382 के काश्तकार के कॉलम में नेमा वल्द गंगा का नाम काश्तकार के रुप में अंकित है।

वादीगण की और से प्रस्तुत गवाह पी डब्लू 1 स्वयं वादी शंकरलाल ने एवं पी डब्लू 2 नानुराम व पी डब्लू 3 समुन्द्रसिंह पड़ौसियान के मौखिक बयान मे वादपत्र के तथ्यों का समर्थन किया है। उक्त दस्तावेजात व मोखिक साक्ष्य का कोई खण्डन नही किया गया है। वादीगण ने वादगत भूमि को अपना कब्जा काश्त उपयोग उपभोग स्व. उमा वल्द माना व स्व. नेमा वल्द गंगा के समय से होना अपनी मोखिक साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित किया है। ऐसी स्थिति मे वादीगण का वाद घोषणात्मक की हद तक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण ने अपने वाद में चिर निषेधाज्ञा बाबत कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है एवं ना ही अपनी मोखिक साक्ष्य में इस प्रकार का कोई पुरजोर अंकन किया है। साथ ही वादीगण ने खर्चा मुकदमा दिलाने का भी अनुरोध किया है लेकिन खर्चा मुकदमा बाबत न तो पैरवी की है न ही विवरण पेश किया है। ऐसी स्थिति मे यही उचित प्रतीत होता है कि चिर निषेधाज्ञा की हद तक वादीगण का वाद खारीज किये जाने योग्य है एवं खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उपरोक्त विस्तृत विवेचनानुसार वादीगण का वाद घोषणात्मक की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है एवं चिर निषेधाज्ञा की हद तक वादी का वाद खारीज किये जाने योग्य है। जहां तक राज पेरोकार ने अपने जबाब में यह तथ्य तो स्वीकार किया है कि न्यायिक आदेश से खातेदारी दर्ज करवाई जा सकती है परन्तु राजस्थान सरकार को राजस्व हानि का अंकित करते हुए शेष तथ्य सम्बंधित नही होने के कारण इनकार किये है परन्तु इसके सम्बन्ध में ना तो राज पैरोकार ने अपने जवाब के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है ना ही जवाब के साथ प्रमाणिक लेख अंकित किया है एव ना ही इस सम्बन्ध में कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है इसके विपरीत वादीगण ने अपने लिखित दस्तावेजात गिरदावरियों के माध्यम से संवत् 2005 से लगातार 2035 तक अपनी काश्त होने बाबत प्रस्तुत किये हैं जिनसे यह भलीभांती प्रतीत होता है कि वादीगण एवं उनके पूर्वजों का सदामत से वादगत खेत खसरान पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा है एवं मौखिक साक्ष्य में पड़ोसियान पीडब्लू–2 व पीडब्लू–3 के बयानों से भी वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग वादगत खेत खसरान पर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में राज पैरोकार के यह तथ्य कि राजस्व हानि होगी के तथ्य मानने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में वाद वादीगण घोषणा की हद तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद घोषणात्मक की हद तक डिक्री किया जाकर वादगत खेतों की वर्तमान खातेदारी निरस्त करते हुये वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण के खेत खसरा नम्बर 351 रकबा 0.0252 हैक्टेर व खसरा नम्बर 352 रकबा 7.3973 हैक्टेर को वादी संख्या 2 जेठाराम, वादी संख्या 3 श्रवण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 9 मोडाराम व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 10 छोटुराम के नाम ब.हि.ब. एवं वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण के खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 2.1875 हैक्टेर व खसरा नम्बर 382 रकबा 5.4626 हैक्टेर को वादी संख्या 1 शंकरलाल व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 सुखाराम के नाम ब.हि.ब. हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सुजानगढ वादगत खेतों मे प्रतिवादी संख्या एक ता पांच का नाम हटा कर उपरोक्तानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अंकन करवाये। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रमेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते